न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2024

अनवान : –

1. याकुब पुत्र आलमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सिकन्दर पुत्र आलमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– अपीलांटस

बनाम्

1. जुबैदा 2. गुडी 3. विमला 4. रसीदा पुत्रीयान आलमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. खतीजा 6. जरीना बानो 7. सदिना 8. शमशेर 9. सरीफ 10. सुल्तान 11. सलीम 12. हुसैन पुत्र/पुत्रीयान अरसा पत्नी बली मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना।
13. सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
15. उप पंजीयक नोहर/फेफाना तहसील नोहर।
16. ज्यान मोहम्मद 17. खान मोहम्मद 18. शान मोहम्मद 19. जबरदीन 20. बादशाह 21. जलालदीन पुत्रगण आलमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना।

– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश रोही मौजा 5 जेएसएन नामन्तरण संख्या 228 दिनांक 05.06.2012 सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांटस

निर्णय दिनांकः 23/01/26

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि रोही मौजा चक 5 जे.एस. एन. तहसील नोहर के प.न. 357/377 मु.न. 12 के किला नं. 14 की 0.2530 हैक्टर भूमि किला नं. 18 की 0. 2530 हैक्टर, 19 की 0.2530 हैक्टर 22 की 0.2530 हैक्टर, 23 की 0.2530 हैक्टरप. न. 357/378 मु.न. 18 के किला नं. 1/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 1/2 की 0. 2280 हैक्टर कुल खसरे 7 की 1.5180 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के पिता आलमदीन पुत्र जीवण जाति मुसलमान कुम्हार साकिन फेफाना तहसील नोहर की खातेदारी कृषि भूमि थी जो सदामत से ही अपीलान्ट के पिता के कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो कि अब भी अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ख09रू59, 1/18/2026, त्र च्तममारू 4. यह कि अपीलान्ट के पिता आलमदीन पुत्र जीवण का देहान्त हो चुका है अपीलान्ट के पिता के देहान्त के पश्चात आलमदीन के आठ लड़के व 5 लड़किया ही वारिस हुऐ थे तथा अपीलान्ट की माता का भी देहान्त हो चुका है एवं अपीलान्ट की बहिन अरसा भी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान रेस्पोडेन्टस सख्या 5 ता 12 है।

अपीलान्ट के पिता के देहान्त के पश्चात रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 5 व रेस्पोडेन्ट स. 5 ता 12 की माता अरसा ने कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि का इन्तकाल विरास्तन तौर पर हिन्दु विधि के अनुसार सभी वारिसान के नाम ब.हि.ब. हक व हिस्सा दर्ज करवाया लिया जो कि कतई गलत है रेस्पोडेन्ट को ज्ञान था कि वह धर्म से मुसलमान है जो मुस्लिम विधि से शासित है उसी के अनुसार लड़के व लड़कियों का हक व हिस्सा बनता है वह दर्ज नही करवाकर सम्पूर्ण भूमि में ब.हि.ब. अपने नाम दर्ज करवा ली जो सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना व राजस्व कर्मचारियों व पटवारियों हल्का से मिलकर नामान्तरण संख्या 228 दिनांक 05/06/2012 दर्ज करवा लिया जो निरस्त योग्य है। मुस्लिम कानून में सपति का उतराधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही आता है मुस्लिम कानूनन में कृषि भूमि में सामान्य तौर पर पुरूष का हिस्सा महिला से दुगना हिस्सा होता है तथा पुत्र का पुत्री से दुगना भाग आता है। मुस्लिम विधि में पुत्र का 2/3 हिस्सा तथा पुत्री का 1/3 हिस्सा बनता है इसलिए रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरण सं. 228 दिनांक 05/6/2012 गलत तौर से तस्दीक करवाया है जो कि रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 12 का हिस्सा से ज्यादा का नामान्तरण करवाया है जो कि खारीज योग्य है। रेस्पोडेन्टस ने नामान्तरण संख्या 228 दिनांक 05/06/2012 को दर्ज करवाकर मौजुदा रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया जो कतई विधि विरूद्ध है रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 13 द्वारा हक व हिस्सा से ज्यादा नामान्तरण दर्ज करवा रखा है एवं रेस्पोडेन्ट का मुस्लिम विधि के अनुसार 1/3 हिस्सा बनता था परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड विभाग एवं ग्राम पंचायत से साज–बाज कर सम्पूर्ण भूमि में ब.हि.ब. दर्ज करवा लिया जिससे अपीलान्ट के हको का हनन होता है अपीलान्ट की भूमि को रेस्पोडेन्टस ने अपने नाम दर्ज करवाकर विधि विरूद्ध कृत्य किया है अतः अपीलान्ट नामान्तरण निरस्त करवा पाने के अधिकारी है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट मुस्लिम विधि से शासित है तथा इनका धर्म मुस्लिम है जो कि मुस्लिम धर्म मानते है लेकिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस की भूमि हडपने के लिए हिन्दु विधि के अनुसार वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण दर्ज करवा लिया। जो कि कतई विधि की अवहेलना में नामान्तरण दर्ज करवाया गया है इसलिए अपीलाधीन आदेश खारीज योग्य है।

उक्त भूमि का नामान्तरण दर्ज करने से पहले सरपंच ग्राम पचांयत फेफाना को अपीलान्ट को सूचना देनी चाहिए थी व मौतबिराना गवाहो के समक्ष हस्तान्तरण करवाना चाहिए थे एवं सभी पक्षकारानो को नोटि[illegible]हिए थी एवं आलमदीन की मृत्यु के बाद मुस्लिम विधि के अनुसार [illegible] ऐसा नही करके फर्जी तौर से बिना किसी दस्तावेजो ए[illegible]न्तो के विपरित है नामान्तरण दर्ज करने में कानूनी भूल की है इसलिए नामान्तरण निरस्त[illegible] है। मातहत अदालत सरंपच ग्राम पंचायत का आदेश बेबुनियाद मनमाना एवं स्वेच्छा चारी पूर्ण है एवं मातहत अदालत सरंपच ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
बोहर

फेफाना पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों ने बिना जॉच पडताल किये व अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना व किसी ठोस सबूत के व मनमाने तरीके से आलमदीन की मृत्यु के बाद विरास्तन नामान्तरण विधि विरूद्ध दर्ज करके कानुनी भूली की है।

अपीलाधीन नामान्तरण का पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नही था क्योंकि मिन अपीलान्ट अनपढ़ व देहान्ती व्यक्ति है अपीलान्ट को कानूनी पेचदगियों का कतई ज्ञान नही है तथा मिन अपीलान्ट ने जमाबन्दी हाल में ब.हि.ब. रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज होना पाया तो पटवारी हल्का द्वारा जिक्र करने पर पता चला जिसके अगले दिन दिनांक 23/01/2024 प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर रहा है द्वितीय देरी में क्षमा करने का कारण रिटोरियस है तथा विरास्तन नामान्तरण विधि की अवहेलना में दर्ज किया गया है तथा उक्त अपील इस बिन्दु पर खारीज योग्य नहीं है फिर भी दफा 5 मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सदभाविक देरी मानते हुऐ क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं. 228 दिनांक 05/6/2012 बाबत कृषि भूमि रोही मौजा चक 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 22/22 की 1.5180 हैक्टर भूमि का नामान्तरण अपास्त किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण मुस्लिम विधि के अनुसार दर्ज व तस्दीक फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी रेस्पोडेंटस उपस्थित नही अत रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने नामानतरण संख्या 228 दिनांक 05.06.2012, जमाबंदी रेाही मौजा 5 जेएसएन सम्वत 2073–76 खाता स0 22/22, दस्तावेज पेश कियें।

बहस अधिवक्ता वकील अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की उक्त भूमि का नामान्तरण स0 228 दर्ज करने से पहले सरंपच ग्राम पचांयत फेफाना को अपीलान्ट को सूचना देनी चाहिए थी व मौतबिराना गवाहो के समक्ष हस्तान्तरण करवाना चाहिए थे एवं सभी पक्षकारानो को नोटिस जारी कर सूचना देनी चाहिए थी एवं आलमदीन की मृत्यु के बाद मुस्लिम विधि के अनुसार नामान्तरण दर्ज करना चाहिए था लेकिन ऐसा नही करके फर्जी तौर से बिना किसी दस्तावेजो एवं विधि के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरित है नामान्तरण दर्ज करने में कानूनी भूल की है इसलिए नामान्तरण निरस्तनीय है। मातहत अदालत सरंपच ग्राम पंचायत का आदेश बेबुनियाद मनमाना एवं स्वेच्छा चारी पूर्ण है एवं मातहत अदालत सरंपच ग्राम पंचायत फेफाना पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों ने बिना जॉच पडताल किये व अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना व किसी ठोस सबूत के व मनमाने तरीके से आलमदीन की मृत्यु के बाद विरास्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नामान्तरण विधि विरूद्ध दर्ज करके कानुनी भूली की है जबकि अपीलांट मुस्लिम विधि से शासित है एवं नामान्तरण मुस्लिम विधि के अनुसार दर्ज होना था। अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा रोही मौजा 5 जेएसएन के नामान्तरण स0 228 दिनांक 05.06.2022 सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील 25.01.2024 को कि गई है हमने सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। यदि प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना हो तो ऐसे प्रकरणों में मियाद बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील को अन्दर मियाद घोषित किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने रोही मौजा 5 जेएसएन के नामान्तरण स0 228 दिनांक 05.06.2022 सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा उक्त नामान्तरण हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है जबकि अपीलांट व रेस्पो0 मुस्लिम विधि से शासित है इसलिए नामान्तरण स0 228 को निरस्त करवाने हेतु अपील पेश की है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण की चित्रप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरण स0 228 आलमदीन के सभी वारिसान के नाम बहिब दर्ज हुआ है अर्थात हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है जबकि अपीलांट व रेस्पो0 मुस्लिम विधि से शासित है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत विरासतन नामान्तरण पर भी वारिसों की सुनवाई का कोई अंकन नही है। उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 228 दिनांक 05.06.2012 ग्राम 5 जेएसएन तहसील नोहर को अपास्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरण को उभयपक्ष की सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 23/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:02 IST
Reason: SelfAttested